

कार्यालय—निदेशक, माध्यमिक शिक्षा राजस्थान, बीकानेर

क्रमांक : शिविरा—माध्य/मा—स/22496/विविध परीक्षाएं (11)/वो—II/2018—26

दिनांक : यथा ई—हस्ताक्षरित

समस्त सम्भागीय संयुक्त निदेशक,
स्कूल शिक्षा।

विषय :- विद्यार्थियों की सतत एवं निर्बाध शिक्षण व्यवस्था के अन्तर्गत विद्यालयों में अधिकतम शैक्षणिक दिवस सुनिश्चित करने बाबत।

उपर्युक्त विषयान्तर्गत लेख है कि विद्यालय में अध्ययनरत् विद्यार्थियों की सतत एवं निर्बाध शिक्षण व्यवस्था बनाये रखने एवं अधिकतम शैक्षणिक दिवस सुनिश्चित के दृष्टिगत राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर, कर्मचारी चयन बोर्ड, जयपुर एवं शिक्षा विभाग द्वारा निर्धारित परीक्षा कार्यक्रम के अतिरिक्त अन्य किसी प्रकार की परीक्षाएं बिना इस कार्यालय की पूर्व अनुमति के विद्यालय में आयोजित नहीं की जावे/इस हेतु विद्यालयों में अवकाश नहीं किया जावे।

अतः निर्देशित किया जाता है कि राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर, कर्मचारी चयन बोर्ड, जयपुर एवं विभाग द्वारा निर्धारित परीक्षा कार्यक्रम के अतिरिक्त अन्य किसी भी प्रकार की परीक्षा आयोजन हेतु कार्यक्रम प्राप्त होने की स्थिति में इस कार्यालय की पूर्व अनुमति/स्वीकृति उपरांत ही विद्यालय अथवा विद्यालय परिसर के उपयोग की अनुमति प्रदान की जावे।

इसे सर्वोच्च प्राथमिकता प्रदान करावें।

(सीताराम जाट)

आई.ए.एस.

निदेशक माध्यमिक शिक्षा

राजस्थान, बीकानेर एवं पदेन

अति. राज्य परि. निदेशक (वरिष्ठ)

समग्र शिक्षा अभियान (समसा)

प्रतिलिपि : निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. निजी सचिव, शासन सचिव, स्कूल शिक्षा, जयपुर।
2. शासन उप सचिव, शिक्षा (ग्रुप-5) विभाग, जयपुर। (जरिये ई—मेल)
3. निजी सचिव, राज्य परियोजना निदेशक एवं आयुक्त, राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद्, जयपुर। (जरिये ई—मेल)
4. निजी सहायक, समस्त जिला कलक्टर, राजस्थान। (जरिये ई—मेल)
5. सचिव, राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर। (जरिये ई—मेल)
6. चैयरमैन, राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड, जयपुर। (जरिये ई—मेल)



7. सिस्टम एनालिस्ट, कम्प्यूटर अनुभाग, कार्यालय हाजा को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करवाये जाने बाबत। (जरिये ई-मेल)
8. निजी सचिव/निजी सहायक/स्टाफ ऑफिसर, निदेशक, माध्यमिक एवं प्रारम्भिक शिक्षा राजस्थान, बीकानेर। (जरिये ई-मेल)
9. सहायक निदेशक, पीएसपी/वीआईपी/मॉनिटरिंग अनुभाग, कार्यालय हाजा। (जरिये ई-मेल)
10. समस्त मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी एवं पदेन जिला परियोजना समन्वयक, समग्र शिक्षा को जिला क्षेत्राधिकार में निर्देशों की पालना हेतु समुचित पर्यवेक्षण एवं प्रभावी प्रबोधन बाबत। (जरिये ई-मेल)
11. प्रधानाचार्य, राजकीय उच्च अध्ययन शिक्षा संस्थान, बीकानेर/अजमेर। (जरिये ई-मेल)
12. प्रधानाचार्य, राजकीय शारीरिक शिक्षा महाविद्यालय, जोधपुर/सादुल स्पोर्ट्स स्कूल, बीकानेर। (जरिये ई-मेल)
13. समस्त जिला शिक्षा अधिकारी (मुख्यालय)-**माध्यमिक/प्रारम्भिक** को पालनार्थ। (जरिये ई-मेल)
14. समस्त मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी एवं ब्लॉक सन्दर्भ केन्द्र प्रभारी, समग्र शिक्षा को पालनार्थ। (जरिये ई-मेल)
15. रक्षित पत्रावली।

निदेशक माध्यमिक शिक्षा
राजस्थान, बीकानेर एवं पदेन
अति. राज्य परि. निदेशक (वरिष्ठ)
समग्र शिक्षा अभियान (समसा)